मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

ब्लाक–1, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

(मुख्य कार्यालय –59, अरेरा हिल्स, नर्मदा भवन, द्वितीय तल, भोपाल)

क्रमांक/5808/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014, भोपाल, दिनांक 11/08/ 2014

प्रति,

कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–म.प्र.
जिला – समस्त (म.प्र.)

विषयः **महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उद्यानिकी, रेशम, पौधारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार के लिये लक्षित वर्ग के एक एकड़ तक के भूमि धारक को लाभान्वित किये जाने बाबत्।**

संदर्भः
1. **विभाग के पत्र क्र. 6673/22/वि–7/एनआरइजी/07 दि. 20.04.2007।**
2. **विभाग के पत्र क्र. 9877/22/वि–7/एनआरइजी/07 दि. 25.06.2007।**
3. **विभाग के पत्र क्र. 6238/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/13 दि.10.07.2013।**

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत उद्यानिकी (नंदन फलोद्यान उपयोजना) के लिये विभाग से जारी संदर्भित पत्र 1 के पैरा क्र. 3.2 एवं संदर्भित पत्र 2 के पैरा क्र. 2.2 के बिन्दू 2 में हितग्राहियों द्वारा धारित भूमि की न्यूनतम एक हेक्टेयर की सीमा तक जोत की कृषि भूमि के स्वामित्व वाले पात्र हितग्राहियों को चयनित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

योजना अंतर्गत उद्यानिकी, रेशम, पौधरोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से निर्धन वर्ग के पात्र हितग्राहियों की आजीविका भी सुदृढ़ हो सके तथा फल व कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विभाग के संदर्भित पत्र क्र. 3 के अनुक्रम में शासन द्वारा **भारत के राजपत्र दिनांक 03.01.2014, की अनुसूची–1 की कंडिका क्रमांक 5 में निर्दिष्ट निम्न संवर्ग के प्राथमिकता क्रमानुसार परिवारों की स्वामित्वाधीन न्यूनतम रकबा एक हेक्टेयर के स्थान पर एक एकड़ भूमि होने पर** उक्त योजनाओं के लाभ के लिए पात्र माने जावेंगें :

(1) अनुसूचित जाति (Scheduled castes)
(2) अनुसूचित जनजाति (Scheduled tribes)
(3) घुमन्तु जनजाति (Nomadic tribes)
(4) अधिसूचित जनजातियां (DenotifiedTribes)
(5) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (Other families below the poverty line)
(6) महिला मुखिया वाले परिवार (Woman-headed household)
(7) शारीरिक रुप से विकलांग प्रधान वाले हितग्राही परिवार (Physically handicapped headed households)
(8) भूमि सुधार के हितग्राही परिवार (Beneficiaries of land reforms)

(9) इंदिरा आवास योजना के हितग्राही परिवार (The beneficiaries under the Indira Awas Yojana)

(10) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) के हितग्राही परिवार, (The beneficiaries under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rorest Rights) Act, 2006 (2 of 2007))

(11) लघु व सीमान्त कृषक (कृषि ऋण माफी व ऋण राहत स्कीम, 2008 में यथा परिभाषित) (The small and marginal farmers as defined in the Agriculture Debet Waiver and Debt Relief Scheme, 2008)

विभाग के संदर्भित पत्रों से जारी शेष निर्देश एवं समय–समय पर जारी अन्य निर्देश आगामी आदेश तक यथावत लागू रहेगें।

उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(अपर मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. रवीन्द्र पस्तोर)
आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल

पृ. क्र./5209/MGNREGS-MP/NR-3/SE-I/2014 भोपाल, दिनांक 11/08/2014

प्रतिलिपि :–

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
4. सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. आयुक्त, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय, तिलहन संघ भवन, भोपाल।
7. आयुक्त सह संचालक, क्षेत्रीय विकास योजनाएं म.प्र.।
8. समस्त संभागायुक्त मध्यप्रदेश।
9. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विकास आयुक्त कार्यालय, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
10. मुख्य अभियंता, म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद, भोपाल।
11. समस्त अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मंडल मध्यप्रदेश ।
12. समस्त कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मध्यप्रदेश ।
13. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश। कृपया अपने स्तर से सहायक यंत्री/उपयंत्रियों को इस परिपत्र की प्रति उपलब्ध करावें।

प्रति,

1. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. निज सहायक, मान. राज्य मंत्रीजी, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।

आयुक्त
म.प्र.राज्य रोजगार गारंटी परिषद,भोपाल